UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

Office of the Executive Engineer, Temporary Divison P.W.D. Rishikesh

Phone/Fax No. : 0135-2430660 **E-Mail ID :- eetdrishk.pwduk@gov.in**

पत्रांक 3547 /24सी0 दिनांक 29/10/2018

सेवा में,

मै0 रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
एस0 14ए 15ए 16 2nd द्वितीय तल
एन0सी0.आर0 प्लाजा,
न्यू गांधी कैन्ट रोड, हाथीबड़कला,
देहरादून।

विषयः— **जनपद देहरादून में ऋषिकेश भानियावाला मोटर मार्ग के किमी0 2 से 14(नटराज चौक से रानीपोखरी चौक) तक कच्चा मार्ग पर ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु रोड़ कटिंग चार्जेज के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— **आपका पत्रांक शून्य दिनांक 29.09.2018**

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद देहरादून में ऋषिकेश भानियावाला मोटर मार्ग के किमी0 2 से 14(नटराज चौक से रानीपोखरी चौक) तक कच्चा/पक्का मार्ग पर ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु रोड कटिंग की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है।

<u>प्रतिबन्धः—</u>

1. भविष्य में मार्ग को जनहित में चौड़ा करने एवं मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ी तो आपको ओ0एफ0सी0 अपने व्यय पर हटाना होगा।
2. सड़क कटाने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा का प्रबन्ध करने के उपरान्त किया जायेगा। लो0नि0वि0 द्वारा समय की सीमा लगाई जा सकती है।
3. सड़क कटाते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किया जाये यदि कोई दुर्घटना घटती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
4. मार्ग पर कटिंग कार्य हेतु जिलाधिकारी, देहरादून से लिखित अनुमति प्राप्त कर, कार्य को जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देशानुसार वर्षाकाल के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जाये एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं समाप्ति के पश्चात् जिलाधिकारी देहरादून एवं इस कार्यालय को लिखित सूचना दी जानी आवश्यक है।
5. यह स्वीकृति ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु पत्र प्राप्ति के एक माह तक वैध है। उक्त तिथि के बाद पुनः स्वीकृति लेनी होगी।
6. सड़क काटने के पश्चात भरी जाने वाली मिट्टी को लो0नि0वि0 विशिष्टियों के अनुसार कम्पैक्शन किया जाना आवश्यक है।
7. रोड़ कटिंग चार्जेज रू0 1,08,37,500.00 डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या 5196931 दिनांक 16.10.2018 द्वारा जमा किये गये है, जो कि मार्ग को भविष्य में यातायात हेतु चालू रखने के लिये व्यय किये जाते है। यह राशि नॉन रिफन्डेबिल है।
8. आपके द्वारा जमा की गयी उक्त धनराशि उपरोक्तानुसार कच्चा 6900.00 वर्ग मी0 हेतु जमा की गयी है, जिसका विवरण संलग्न किया जा रहा है। यदि कटिंग उक्त क्षेत्रफल से अधिक होती है तो अतिरिक्त कटिंग की धनराशि आपको तुरन्त जमा करानी होगी। यदि आप इस धनराशि को जमा कराने में असफल रहे तो विभाग को अधिकार होगा कि वह शेष धनराशि की वसूल एज "लैण्ड रैवेन्यू" वसूल करवायें तथा इस प्रकार वसूल की जाने वाली धनराशि पर हुये व्यय की वसूली भी आपसे की जायेगी।
9. कार्य कराते समय पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने पर पाईप लाईन को तत्काल अपने व्यय पर मरम्मत करनी होगी ताकि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा भी निर्देश दिये गये है।
10. उपरोक्त शर्तो में से किसी शर्त का पालन न होने पर यह अनापति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी, जिस पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. वर्तमान में स्थानीय निकाय चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य केवल किमी0 <u>4 से 11</u> में किया जाय।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश

पत्रांक......................./24सी0 तद्दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः—
1. अपर जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित मेट को इस आशय से प्रेषित कि रोड़ कटिंग के दौरान कोई अनियमितता पायी गई तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 ऋषिकेश

Scanned by CamScanner